

फर्द अहकाम
(निगम 26)

08-05-24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

लोक कबर पत्नि रमो धीरू सिंह बनाम लाल कबर पत्नि मोहन सिंह वगैरे

विलम्ब मुकदमा - विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर - 10 / 2024

तारीख हुवन	हुवन या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज	संख्या व कैवियट उक्तक म के दल हुवन की तारीख व तारी हुवन
------------	--------------------------------------	--

08 05 2024

प्रार्थी वकील श्री सुनील कुमार शर्मा एडवो के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 11.12.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खरता नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र / प्रार्थना पत्र अर्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी रतर पर फ़ैसल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तक़मील दाखिल दफ़तर हो।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

